संख्याः 88/नि0अनु0/बजट–16/नि0वि0/2003

प्रेषक,

आलोक कुमार
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

निदेशक,
राज्य योजना आयोग/नियोजन निदेशालय
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन विभाग देहरादून दिनांकः 02 अप्रैल, 2003

विषयः वित्तीय वर्ष 2002–03 में लेखाअनुदान के अन्तर्गत 01 अप्रैल से 30 जून 2003 तक की अवधि हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन, के पत्र संख्या 1304/वित्त अनुभाग–1/2003 दिनांक 29 मार्च 2003 के अनुक्रम में (प्रति संलग्न) मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2003–04 में दिनांक 01 अप्रैल, 2003 से 30 जून, 2003 तक के लिए संलग्न विवरणानुसार आय–व्ययक की अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक–3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–092–अन्य कार्यालय–03–नियोजन अधिष्ठान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशियों में बचनबद्ध मदों (नयी मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त) यथा वेतन, मजदूरी, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, टेलीफोन, जल, विद्युत देय, पेट्रोल/वाहनों के रख रखाव, भोजन व्यय, औषधि, वेतन संबंधी अनुदान, आवश्यक अनुरक्षण, यात्रा, स्थानान्तरण यात्रा, किराया, छात्रवृत्ति/छात्र वेतन, पेंशन, ऋण/ब्याज, कार्यालय व्यय के आवश्यक मदों हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाअनुदान के रूप में निम्नांकित शर्तों के अधीन धनराशि रू0 17.71 लाख (रूपये सत्रह लाख इकहत्तर हजार मात्र) श्री राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण में रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. वित्तीय वर्ष 2003–04 में 01 अप्रैल 2003 से 30 जून 2003 तक के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2003–04 की नयी मदों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाय।

2. स्वीकृत कार्यों पर होने वाला व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन से समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कडाई से किया जायेगा।

3. यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये। जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हों उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

4. संलग्न वर्णित धनरशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित करें कि धनराशियों परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जायें। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से कृपया शासन को भी अवगत कराया जाय।

5. अवचनबद्ध मदें अथवा समस्त चालू निर्माण कार्य, उपकरण एवं संयत्र का क्रय तथा वाहन आदि का क्रय की स्वीकृति पर शासन/वित्त विभाग की सहमति नितांत आवश्यक है।

6. यह सुनिश्चित किया जाय शासन के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय। तथा अधीनस्त स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

भवदीय

(आलोक कुमार)
अपर सचिव

संख्याः 88(1)/नि0अनु0/बजट–16/नि0वि0/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद।
2– निदेशक, कोषागार/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आहरण वितरण अधिकारी, नियोजन निदेशालय।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या–88/नि0अनु0/बजट–16/नि0वि0/2003 दि0 2 अप्रैल 2003 का संलग्नक

लेखाशीर्षक	धनराशि हजार रू0 में
अनुदान संख्या–7	
3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें	लेखानुदान 2003–04
092– अन्य कार्यालय	आयोजनेत्तर
03– नियोजन अधिष्ठान	
01– वेतन	750
02–मजदूरी	15
03–महंगाई भत्ता	435
04–यात्रा व्यय	50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	25
06–अन्य भत्ते	83
08–कार्यालय व्यय	125
09–विद्युत देय	25
10–जलकर/जल प्रभार	13
13–टेलीफोन पर व्यय	50
15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	100
योग–	1771

(सत्रह लाख इकहत्तर हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह)
अनुसचिव